(413)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 पुनरीक्षण

निगरानी - 5795/2018/मुरैना/भू.रा.

1. रामकिशोरी विधवा पत्नी खडग सिंह
2. सोन पाल
3. भुपेन्द्र
4. हरीदत्त पुत्रगण खड़ग सिंह
5. कलावती विधवा पत्नी दर्शनलाल
6. भरतलाल
7 बृजेश
8 युधिष्ठर
9. शैलेन्द्र पुत्रगण दर्शनलाल

निवासीगण ग्राम–गुलाब का पुरा
तहसील–अम्बाह, जिला–मुरैना म.प्र.

श्री ... द्वारा आज दि. 22-9-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3-10-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 9-18

S.K. Bajpai
Adv. Genl

विरूद्ध

1. ताराचन्द पुत्र भोगीराम अग्रवाल
   निवासी–पुराने थाने के पास, अम्बाह
   जिला–मुरैना म.प्र.
2. अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन
   सिंचाई विभाग, चम्बल कॉलोनी
   अम्बाह, जिला–मुरैना म.प्र.

... महाधिवक्ता राजस्व मण्डल
... 461
... 01 से 06
हस्ताक्षर व नाम ... 22/9/18

अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह जिला–मुरैना द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक–148/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 06/09/2018 के पुनरीक्षण हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

(3)

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं मनमाना होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, आवेदकगण ने ग्राम–अम्बाह की भूमि सर्वे क्रमांक–1914/1 क्षेत्रफल 3 बीघा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5795/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	